न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–63 सन् 2019

रविन्द्र सिंह व अन्य............वादीगण

बनाम

मुकेश कुमार सिंह व अन्य............प्रतिवादीगण

दिनांक– 02.11.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 3 दिनांक 07.11.2020 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद में वादी सं0 2 चंदेश्वर मांझी की मृत्यु दिनांक 12.09.2020 को हो गई है। इनके वारिसान इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः निवेदन है कि वादी सं0 2 का नाम वादपत्र से कलमजद करते हुए उनके स्थान पर आवेदन में लिखित वारिसानों का नाम प्रस्थापित किया जाए।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि मृत वादी सं0 2 चंदेश्वर मांझी इस वाद में पक्षकार थे जिनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से दाखिल किया गया है। आवेदन समय

सीमा के भीतर दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 07.11.2020 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से वादी सं0 2 चंदेश्वर मांझी का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम जो आवेदन में लिखित है, उन्हें प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 16.11.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।